

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश
"ऑडिट भवन", टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010

सं.प्र.म.ले.(ले.प.II)/RTIPrayagraj/e-139689/0/0- 234-

दिनांक-18.02.2026

संशोधित कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज द्वारा आयोजित किये जा रहे 'Works Audit' विषयक ऑनसाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत किये गए कार्यालय आदेश संख्या सं.प्र.म.ले.(ले.प.-II)/RTI Prayagraj/230 दिनांक: 11/02/2026 में निम्ननुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

The following partial amendment is made in the Office Order No. प्र.म.ले.(ले.प.-II)/RTI Prayagraj/230 dated: 11/02/2026 issued earlier regarding the onsite training program on 'Works Audit' being organized by the Regional Capacity Building and Knowledge Institute, Prayagraj-

क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	स्लॉट की संख्या	अवधि	पूर्व में नामित अधिकारी का नाम (श्री)	नवीन नामित अधिकारी का नाम (श्री)
1.	Works Audit	3	23-02-2026 to 27-02-2026	1. Karn Deo Singh, SAO (3231196) 2. Ramendra Singh, SAO (3231032) 3. Saurabh Pratap Singh, AAO (3232331)	1. Karn Deo Singh, SAO (3231196) 2. Ramendra Singh, SAO (3231032) 3. Suresh Kumar, AAO (3232282)



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.

सं.प्र.म.ले.(ले.प.II)/RTIPrayagraj/TR- 2767

दिनांक-18.02.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ०प्र०, लखनऊ
2. व. उपमहालेखाकार/ प्रशासन एवं ए.एम.जी.-III
3. व. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-II
4. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-IV
5. व०ले०प०अ०/ए.एम.जी.-II/ए.एम.जी.-III/ए.एम.जी.-IV/रिपोर्ट-I/रिपोर्ट-II/रिपोर्ट- III/GD/PC/IT/ITA /Co-ordination को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षणार्थी को सूचित करें कि वे उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित हो।
6. स०ले०प०अ०/आई.टी.सेल, इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रति, कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. प्रशिक्षण से संबंधित अधिकारी (ई-मेल द्वारा) को इस निर्देश के साथ कि वे प्रशिक्षण के एक दिन पहले ट्रांजिट लेकर अपने कार्यस्थल से (HQ/Field) क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त उसी शाम/ रात का ट्रांजिट लेकर वापस अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होंगे।
8. नोटिस बोर्ड



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.